R.R. INSTITUTE OF MODERN TECHNOLOGY
NH-24, Bakshi Ka Talab, Sitapur Road, Lucknow-226201

ADMISSION POLICY – MANAGEMENT QUOTA

1. Preamble

R.R. Institute of Modern Technology, Lucknow (hereinafter referred to as “the Institute”) is committed to ensuring a fair, transparent, and merit-based admission process in accordance with applicable norms and ethical academic practices. This Admission Policy governs the procedure for filling seats under the **Management Quota**, ensuring equal opportunity to eligible candidates while maintaining academic standards.

2. Objective

The objective of this policy is to:

a) Define a transparent and structured process for admissions under the Management Quota.
b) Ensure admissions are granted strictly on the basis of merit.
c) Maintain compliance with applicable statutory, regulatory, and affiliating university guidelines.
d) Prevent arbitrariness, favoritism, or discrimination in the admission process.

3. Applicability

This policy shall apply to:

a) All academic programs offered by the Institute where Management Quota seats are permitted.
b) All candidates seeking admission under the Management Quota for the relevant academic session.

4. Number of Seats

The number of seats under the Management Quota shall be as permitted by the competent authorities / regulatory body from time to time. Admissions shall be restricted strictly within the approved intake capacity.

5. Eligibility Criteria

Candidates applying under the Management Quota must:

Director
R.R. Institute of Modern Technology
NH-24, Bakshi Ka Talab
Sitapur Road, Lucknow

a) Fulfill the minimum eligibility criteria prescribed for the respective program.
b) Possess valid academic qualifications from recognized boards/universities.
c) Meet any additional eligibility requirements prescribed by statutory or affiliating bodies, if applicable.

6. Admission Process

6.1 Advertisement

The availability of Management Quota seats shall be notified through **advertisements published in leading newspapers**. The advertisement shall clearly mention:

a) Name of the Institute
b) Programs offered under Management Quota
c) Eligibility criteria
d) Last date for submission of applications
e) Mode of application
f) Merit-based selection process

The advertisement shall ensure adequate public notice and equal opportunity to all eligible candidates.

6.2 Receipt of Applications

a) Applications shall be received within the stipulated time period mentioned in the advertisement.
b) Candidates must submit:
   (i) Duly filled application form
   (ii) Copies of relevant academic certificates and mark sheets
   (iii) Proof of eligibility
   (iv) Any other documents prescribed by the Institute
   (v) Incomplete or late applications shall not be considered.

6.3 **Scrutiny and Shortlisting of Applications**

All received applications shall be scrutinized by the Registrar of the Institute. Applications shall be shortlisted based on:
(i) Fulfillment of eligibility criteria
(ii) Accuracy and completeness of submitted documents
(iii) Only eligible and valid applications shall be considered for merit assessment.

Director
R.R. Institute of Modern Technology
NH-24, Bakshi Ka Talab
Sitapur Road Lucknow

6.4 **Merit-Based Selection**

Admissions under the Management Quota shall be granted strictly on the basis of merit. Merit shall be determined based on:

(i) Marks obtained in the qualifying examination and/or
(ii) Any other merit parameters prescribed for the respective program
(iii) A merit list shall be prepared for shortlisted candidates.
(iv) In case of a tie, merit shall be resolved as per predefined academic criteria.

6.5 **Grant of Admission**

(i) Offers of admission shall be issued to candidates in order of merit.
(ii) Candidates must complete admission formalities within the stipulated time, including:
- Verification of original documents
- Payment of prescribed fees
- Failure to complete formalities within the given time may result in forfeiture of the offered seat.

7. **Fee Structure**

(i) Fees for Management Quota seats shall be as prescribed by the competent authority or approved by the Institute.
(ii) No capitation fee or unauthorized charges shall be collected.
(iii) All payments shall be made through approved modes and duly receipted.

8. **Cancellation of Admission**: Admission may be cancelled if:
(i) The candidate is found ineligible at any stage.
(ii) False or misleading information is provided.
(iii) Required documents are not produced during verification.
(iv) The Institute reserves the right to take appropriate action as per rules.

9. **Grievance Redressal**

Candidates may submit grievances related to the Management Quota admission process in writing. The Institute shall address grievances in a fair and time-bound manner through a designated authority.

Director
R.R. Institute of Modern Technology
NH-24, Bakshi Ka Talab
Sitapur Road Lucknow

10. **Amendments**

    The Institute reserves the right to amend or modify this policy in compliance with changes in regulations or institutional requirements. Any such amendments shall be duly notified.

Conclusion

This Admission Policy aims to uphold the principles of **merit, transparency, and fairness** in admissions under the Management Quota at R.R. Institute of Modern Technology, Lucknow, ensuring academic integrity and institutional credibility.

Director
R.R. Institute of Modern Technology
NH-24, Bakshi Ka Talab
Sitapur Road Lucknow

<u>आवश्यक /महत्वपूर्ण</u>
<u>संख्या-2235/सोलह-1-2012-1(17)/2008</u>

प्रेषक,

राम गणेश,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1. कुलसचिव
गौतमबुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय,
लखनऊ ।
2. कुलसचिव
महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय,
गौतमबुद्ध नगर ।

<u>प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1</u> <u>लखनऊ : दिनांक : 21 जून, 2012</u>

विषयः- प्राविधिक विश्वविद्यालय से सम्बद्ध निजी क्षेत्र की संस्थाओं में एन0आर0आई0/मैनेजमेंट कोटे की सीटों तथा राज्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से भरी जाने वाली 85 प्रतिशत सीटों के विरूद्ध रिक्त सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-4729/सोलह-1-2012- 1(17)/2008, दिनांक 23 फरवरी, 2012 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा उक्त शासनादेश दिनांक 23.2.2012 को तात्कालिक प्रभाव से अवक्रमित करते हुए निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है :-

(I) उक्त शासनादेश के प्रस्तर-4 में उल्लिखित प्राविधान के स्थान पर निम्न व्यवस्था की जाती है:-

''संस्थानों में 15 प्रतिशत सीटें एन0आर0आई0/मैनेजमेंट कोटे के अंतर्गत भरी जायेंगी।''

उक्त प्रस्तर की शेष शर्ते यथावत रहेगी।

(II) उक्त शासनादेश के प्रस्तर-5 के उल्लिखित प्राविधान के स्थान पर निम्न व्यवस्था की जाती है:-

''काउन्सिलिंग के उपरान्त निजी क्षेत्र में स्थापित संस्थाओं में रिक्त बची सीटों के प्रवेश हेतु संस्था स्तर पर अभ्यर्थियों को प्रवेशों हेतु निम्नानुसार मेरिट के आधार पर वरीयता प्रदान की जाएगी:-

(1) एस0ई0ई0 रैंक।

(2) ए0आई0ई0ई0ई0 परीक्षा में सफल घोषित एवं काउन्सिलिंग हेतु अर्ह अभ्यर्थियों की रैंक एम0बी0ए0 प्रवेशों हेतु कैट/सीमैट परीक्षा में घोषित सफल अभ्यर्थी।

उपर्युक्त (1) एवं (2) में से कोई अभ्यर्थी न उपलब्ध होने की दशा में उन अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा, जिन्होंने संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हकारी परीक्षा के अर्ह विषयों में न्यूनतम 50 प्रतिशत (अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु 45 प्रतिशत) प्राप्तांक प्राप्त किया है।

(3) संस्थान स्तर पर उक्त व्यवस्था से प्रेविशित छात्रों से वही फीस ली जायेगी जो काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेशित छात्रों से ली जायेगी ।

(4) संबंधित प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा 85 प्रतिशत सीटों पर काउन्सिलिंग सम्पन्न कराये जाने के पश्चात् समस्त संस्थायें एक सप्ताह के अंदर काउन्सिलिंग द्वारा प्रवेशित छात्रों के पश्चात् रिक्त सीटों की सूचना संबंधित प्राविधिक विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराते हुए रिक्त सीटों को भरने हेतु विज्ञापन जारी करना सुनिश्चित करेगी।

(5) संस्थाओं द्वारा उक्त विज्ञापन दो प्रमुख हिन्दी/अंग्रेजी एवं उर्दू के दैनिक समाचार पत्रों, जिनका प्रदेश में सर्वाधिक सर्कुलेशन हो, में दिये जाने के साथ-साथ अपनी वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा। समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन की कटिंग संबंधित संस्था द्वारा प्रकाशन की तिथि को ही प्राविधिक विश्वविद्यालय को भेजी जायेगी।

(6) सम्बन्धित संस्था द्वारा विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से कम से कम 07 दिन की अवधि आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित की जायेगी। विज्ञापन में संबंधित संस्था प्रवेश हेतु समय सारणी भी प्रकाशित करायेगी। इस समय सारणी में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि, प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर बनायी गयी श्रेष्ठता सूची के प्रकाशन की तिथि तथा प्रवेश की अंतिम तिथि का विवरण अवश्य दिया जायेगा।

(7) सम्बन्धित संस्था एवं प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा अपनी अधिकारिक बेबसाइट पर प्रवेश सम्बन्धी सभी निर्देश व विवरण प्रदर्शित कराया जायेगा। संस्थाओं में आवेदन की प्रति वेबवेस पर उपलब्ध हो सके, इसकी व्यवस्था प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

(8) अभ्यर्थियों/छात्रों द्वारा आवेदन पत्र की मूल प्रति संबंधित संस्था तथा उसकी एक प्रति प्राविधिक विश्वविद्यालय को दी जायेगी। यह आवेदन विश्वविद्यालय को पंजीकृत डाक/व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

(9) संस्था में प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण करके तद्नुसार संबंधित संस्था द्वारा पूर्व निर्धारित तिथि को श्रेष्ठता सूची नोटिस बोर्ड तथा अपने बेबसाइट पर प्रकाशित की जायेगी और उक्त सूची की एक प्रति उसी तिथि को प्राविधिक विश्वविद्यालय को प्रेषित की जायेगी। इसी सूची के आधार पर रिक्त सीटों पर प्रवेश की नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

(10) संस्थाओं द्वारा प्रार्थना पत्र प्राप्ति स्वीकार न करने अथवा श्रेष्ठता सूची में नाम शामिल न करने अथवा श्रेष्ठता सूची में नाम होने के बाबजूद प्रवेश न देने अथवा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क की मॉग अथवा प्रवेश के संबंध में की गयी अन्य किसी भी प्रकार की अनियमितता की शिकायत तत्काल संबंधित मंडलायुक्त/जिलाधिकारी/प्राविधिक विश्वविद्यालय/उ0प्र0 शासन को प्रेषित की जा सकेगी। इस प्रकार प्राप्त शिकायतों को प्रत्येक स्तर से संबंधित प्राविधिक विश्वविद्यालय को अग्रसारित किया जायेगा। इन प्रकरणों की जॉच हेतु संबंधित प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा तीन सदस्यीय समिति का गठन कर शिकायतकर्ता, सम्बन्धित संस्था एवं अन्य सम्बन्धित पक्षों के स्तर पर उपलब्ध विवरण के आधार पर एक सप्ताह में जांच कार्यवाही कराई जायेगी।तत्पश्चात् प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा एक सप्ताह में उपयुक्त कार्यवाही की जाएगी। प्रवेश में अनियमितता प्रमाणित होने की दशा में संस्था में संबंधित प्रवेश वर्ष में 15 प्रतिशत सीटें कम की जा सकती हैं अथवा संस्था को प्रदत्त सम्बद्धता निरस्त की जा सकती है।

(11) रिक्त सीटों पर लिए गये प्रवेशों का संस्थावार आडिट संबंधित प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा गठित समितियों द्वारा किया जायेगा। यह समिति अपनी सम्परीक्षा रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष के 30 सितम्बर तक प्राविधिक विश्वविद्यालय को प्रेषित करेगी और तदोपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा एक सप्ताह में कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराया जाएगा ।

(12) संस्थाओं द्वारा किसी भी प्रकार से कैपिटेशन फीस नही ली जायेगी यदि कैपिटेशन फीस लेने का प्रमाण पाया गया तो संस्थान के विरूद्ध भ्रष्ट्राचार निवारण अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट

...4...

करاकर कार्यवाही की जाएगी तथा सम्बद्धता निरस्तीकरण की कार्यवाही भी की जायेगी ।

(13) राज्य सरकार द्वारा अनुदानित इंजीनियरिंग कालेजों के संबंध में भी प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उनकी सीटें कदापि रिक्त न बचें। इस संबंध में पारदर्शी प्रक्रिया सक्षम स्तर से अनुमोदित करायी जाएगी।

(14) प्रवेश की कार्यवाही तथा उक्त बिन्दुओं का अनुपालन प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

6. कृपया उक्त शासनादेश दिनांक 23-2-2012 उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए। उपर्युक्त व्यवस्था से प्राविधिक विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त संस्थाओं को अवगत कराते हुए अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(राम गणेश)
विशेष सचिव

<u>संख्या एव दिनांक तदैव-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- कुलपति, गौतमबुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।
2- कुलपति, महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय, नोएडा।
3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
4- समस्त निदेशक/प्राचार्य, शासकीय स्वायत्तशासी अनुदानित अभियंत्रण संस्थाए, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(राम गणेश)
विशेष सचिव